

कार्यालय प्रधानाचार्य:: जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर।

पत्र संख्या- /ई०सी०-1/एन०डी०/2024

दिनांक-26/09/2024

:- सूचना :-

शासन के पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14 जून 2024 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों को संविदा के आधार पर वाक-इन-इन्टरव्यू माध्यम से घयन के मामलों में नियुक्ति/तैनाती व अभ्यर्थियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु सेवायोजन विज्ञापित संख्या-182/एन०डी०/2024 दिनांक 28-08-2024 के सन्दर्भ में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/द्रामा सेक्टर के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापित की गयी है, जिसके आधार पर रोगी के उपचार/एन०एम०सी० (एम०सी०आई०) मानकों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय/सुपर स्पेशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी०एम०एस०एफ०आई०) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु इन पदों पर घयन वाक-इन-इन्टरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त घयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञापित जारी होने के पश्चात माह के शुक्रवार दिनांक 27-09-2024 को परीक्षा हॉल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10:00 बजे से सायं-04:00 बजे के मध्य उपस्थित हों। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह साक्षात्कार के दिवस अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों तथा एन०एम०सी० की गाइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु सीनियर रेजिडेन्सी एवं आचार्य/सह आचार्य हेतु एम०ई०टी०/बी०सी०बी०आर० प्रमाण पत्र की (सब प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित भी लायेंगे। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की विस्तृत सूची एवं नियुक्ति की शर्तें जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट www.gsvmmedicalcollege.com पर उपलब्ध हैं। पदों की संख्या घट बढ सकती है।

पद सं०	विशिष्टता का नाम	संविदा चिकित्सा शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या									
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	
1	आर्थोपेडिक्स	1	ओ०बी०सी० एस०सी०	(9) (53)	1 1	ओ०बी०सी० अनारक्षित	(57) (58)	1	अनारक्षित	(102)	
2	आप्यतमोलॉजी	0	0	0	1 1	एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस०	(59) (60)	1	अनारक्षित	(104)	
3	आम्बुट्रेटिक्स एण्ड गायनोकोलाजी	0	0	0	1 1	अनारक्षित ओ०बी०सी०	(64) (65)	0	0	0	
4	इमरजेन्सी मेडिसिन	0	0	0	1 1	अनारक्षित ओ०बी०सी०	(66) (67)	1 1	ई०डब्ल्यू०एस० एस०सी०	(110) (111)	
5	एनाटमी	0	0	0	0	0	0	1 1 1 1 1 1	ओ०बी०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० अनारक्षित अनारक्षित ओ०बी०सी०	(39) (40) (51) (76) (66) (67)	
6	एनेस्थीसिया	0	0	0	1 1 1 1 1 1	अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० अनारक्षित	(8) (38) (68) (69) (70) (71) (72)	1 1 1 1	एस०सी० अनारक्षित एस०सी० ओ०बी०सी०	(11) (14) (15) (119)	
7	ओटो लैरिंगोलॉजी(ई०एन०टी०)	1	ओ०बी०सी०	(57)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	0	0	0	
8	कम्युनिटी मेडिसिन	0	0	0	0	0	0	1 1 1 1 1 1	ओ०बी०सी० एस०सी० अनारक्षित एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस० अनारक्षित	(19) (121) (122) (159) (180)	
9	जनरल मेडिसिन	0	0	0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ओ०बी०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी०	(75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (104) (105)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ई०डब्ल्यू०एस० एस०टी० एस०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० एस०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित अनारक्षित ओ०बी०सी०	(20) (47) (53) (54) (56) (63) (64) (123) (124) (125) (126) (127)	
10	जनरल सर्जरी	0	0	0	1 1 1 1 1	ओ०बी०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी०	(85) (86) (87) (88) (89)	1 1 1 1 1	एस०सी० 1प्लास्टिक सर्जरी 1(द्रामा) 1(द्रामा) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ओ०बी०सी० अनारक्षित अनारक्षित ओ०बी०सी० एस०सी० ओ०बी०सी० ई०डब्ल्यू०एस० एस०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित	(21) (23) (24) (44) (65) (99) (129) (130) (131) (132) (185) (166) (167) (168) (169)
11	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन	0	0	0	1 1	अनारक्षित ई०डब्ल्यू०एस० अनारक्षित	(54) (80) (108)	0	0	0	
12	डरमिटोलॉजी (स्कीन एण्ड वी०डी०)	1	ओ०बी०सी०	(65)	1	ओ०बी०सी० ओ०बी०सी०	(91) (107)	0	0	0	
13	न्यूरोलॉजी	1	अनारक्षित	(24)	0	0	0	0	0	0	
14	न्यूरोसर्जरी	1	अनारक्षित	(26)	0	0	0	0	0	0	
15	नेफ्रोलॉजी, (मेडिसिन)	0	0	0	1	अनारक्षित	(18)	0	0	0	
16	पीडियाट्रिक्स	0	0	0	1 1 1	एस०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी०	(93) (94) (95)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1(ग्राहबन्धन/ओल डिपार्ट) 1 सहायक आचार्य कम स्पीस पैथलापिस्ट ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० ओ०बी०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी०	(30) (70) (139) (140) (170) (171)	

17	फार्माकालाजी	1	एसओसी	(49)	1	एसओसी अनारक्षित	(25) (34)	1 1	एसओसी अनारक्षित	(45) (93) (144)
18	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन (पीएफएलएफआर)	1	अनारक्षित	(46)	0	0	0	0	0	0
19	फिजियोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित अनारक्षित एसओसी	(48) (94) (145)
20	फोरेन्सिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	1	अनारक्षित अनारक्षित	(96) (146)
21	बायोकेमिस्ट्री	1	ओबीओसी	(51)	1	अनारक्षित	(96)	1	एसओसी अनारक्षित	(147) (148)
22	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	0	1	एसओसी	(97)	1	एसओसी ईओडब्ल्यूएसओ ओबीओसी	(149) (150) (151)
23	यूरोलॉजी	0	0	0	1	ओबीओसी	(51)	1	ओबीओसी	(75)
24	रेडियोलॉजी	1	ओबीओसी	(37)	1	ईओडब्ल्यूएसओ अनारक्षित एसओसी ईओडब्ल्यूएसओ एसओसी अनारक्षित	(30) (98) (99) (100) (101) (102)	1 1 1 1 1 1	ओबीओसी अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित एसओसी अनारक्षित ओबीओसी अनारक्षित ओबीओसी	(37) (38) (56) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (161)
25	साइकियेट्री	1	अनारक्षित	(68)	1	ओबीओसी अनारक्षित	(103) (108)	0	1 फिजिसिस्ट	0
		12			52			77		

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्त निम्नवत है:-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹0-2,20,000/-, सह आचार्यों का नियत वेतन ₹0-1,60,000/- तथा सहायक आचार्यों को नियत वेतन ₹0-1,20,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएँ एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
- शासनादेश सं0-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
- चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को पूर्ववर्ती अभ्यर्थी पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
- ओबीओसी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवाएँ लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
- चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
- संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन मुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुभव पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुभव या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमतीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
- अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी जायेगी।
- उ0प्र0शासन, कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत ईओडब्ल्यूएसओ (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल वार्षिक आय ₹0 8.00 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अग्रिम अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अर्हता नवीन एनओएमओसीओ गाइड लाइन के अनुसार अनुमन्य होगी।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
- जो अभ्यर्थी एमओसीओ/एमओएसओ के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर

सं0- 274 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
- नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर